निगरानी / टी.ए. / 4112 / 2005 / दौसा
मनोहरी व अन्य बनाम सिकराय सुतारगिरी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य** उपस्थित– श्री डी.डी.पारीक, अभिभाषक निगरानीकर्ता **निर्णय** दिनांक :01.2.2019 1. इस निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सिकराय सुतारगिरी उत्पादक सहकारी समिति ने रेवड, जगराम व उमराव के विरूद्ध विचारण न्यायालय में एक वाद बाबत दखलयाबी व स्थाई व्यादेश प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब दावा पेश करके वाद खारिज करने का निवेदन किया था। वाद के विचारण के दौरान निगरानीकर्तागण ने विचारण न्यायालय के समक्ष दो आवेदन पत्र पेश किये थे। एक आवेदन पत्र आदेश 11 नियम 12 सीपीसी तथा दूसरा आवेदन पत्र किसी अन्य मुद्दे को लेकर पेश किया गया था। उक्त दोनों ही आवेदन पत्र विचारण न्यायालय ने दिनांक 25–6–05 को पारित एक ही आदेश के द्वारा खारिज कर दिये थे। यह निगरानी आदेश 11 नियम 12 सीपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र को खारिज करने के संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। 2. बहस सुनी गई, जिसके दौरान दिनांक 9–1–19 को रेस्पोडेन्ट की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं था। 3. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण ने निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सिकराय सुतारगिरी उत्पादक सहकारी समिति ने इसी भूमि बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच जयपुर में रिट करना अंकित किया है तथा वाद में रिट का पेन्डिंग होना भी बताया है किन्तु उस रिट के संबंध में कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए निगरानीकर्तागण ने दरख्वास्त में यह उल्लेख किया था कि माननीय उच्च न्यायालय में रिट की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचना उपलब्ध कराने बाबत वादी को निर्देश दिये जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसके अलावा वादी समिति ने राजस्थान कॉपरेटिव सोसायटी एक्ट के तहत खुद को रजिस्टर्ड होना बताया है तथा वाद पत्र में समिति का बंद होना भी अंकित किया है। फिर जगन्नाथ ने स्वयं को उक्त समिति का मंत्री बताकर वाद किस हैसियत से प्रस्तुत किया, इसका कोई उल्लेख वाद पत्र में नहीं है। इसके अलावा कॉपरेटिव सोसायटी एक्ट के तहत किसी समिति के पंजीकृत हो जाने के बाद यदि वह समिति समाप्त हो जाती है, तो समिति के सदस्यों के अधिकार हट कर रजिस्ट्रार समिति में निहित हो जाते हैं। इस समिति के समापन के बाद रजिस्ट्रार सोसायटी द्वारा विवादग्रस्त आराजी की खुली नीलामी कर दी गई थी तथा वह भूमि अग्रवाल सेवा समिति सिकराय को बेच दी गई है, फिर भी उक्त अग्रवाल सेवा समिति को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में भूमि का खातेदार होने बाबत कोई रिकार्ड पेश नहीं किया, इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्तागण की दरख्वास्त खारिज कर दी। इसलिए निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदन अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सीपीसी को स्वीकार किया जावे। 4. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। 5. आदेश 11 नियम 12 सीपीसी के प्रावधान उस परिस्थिति में लागू होते हैं, जब कोई पक्षकार ऐसे दस्तावेज के प्रतिकरण के लिए निवेदन करे जो वाद से संबंधित हो। मौजूदा केस में जो रिट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित होना बताया गया है, उसके विवरण विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के पृष्ठ संख्या 3 में स्पष्ट रूप से अंकित किये हैं। इसलिए इसके बारे में जानकारी निगरानीकर्तागण भी प्राप्त कर सकते थे। वैसे भी विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में स्पष्ट अंकित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो रिट लम्बित है वह ऋण वसूली के वाद से संबंधित है तथा उसका वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। जो अन्य सूचनाएं आदेश 11 नियम 12	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सीपीसी के तहत आवेदन पत्र पेश कर निगरानीकर्तागण ने चाही हैं, वे उक्त प्रावधान की परिधि में नहीं आती हैं। विचारण न्यायालय ने सभी तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सकारण आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। 6. उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। **(राजेन्द्र कुमार)** **सदस्य**	